न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 21/2016

1. सन्तोष देवी पत्नी श्री नेमीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

—आवेदक

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार उर्फ राजू पुत्र श्री घडसीराम
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री केशरदेव
3. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री केशरदेव
4. महाबीर प्रसाद पुत्र केशरेदेव
5. नाराणी देवी बेवा श्री केशर देव जाति जाट निवासीगण बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
6. बजरंगलाल पुत्र श्री कालूराम
7. शिशराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
8. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नवलगढ जिला झुन्झुनू।

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 ए रा0का0अधि0

वकील आवेदक— श्री प्रदीप कुमार झाझडिया
वकील अनावेदक—श्री बाबूलाल वर्मा

निर्णय

दिनांक 19.02.2020

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीया भूमि खसरा नम्बर 895 रकबा 1.41 हैक्टर स्थित सरहद ग्राम बिरोल तहसील नवलगढ की रिकार्डेड सहकाश्तकार है इस खसरा नम्बर में प्रार्थीया के हिस्से के अलावा श्री श्रीराम, नेमीचन्द मनोहरलाल पुत्रासन श्री रामेश्वरलाल के हिस्से की भूमि भी प्रार्थीया व उसके पति श्री नेमीचन्द ही आपसी भाई बंटवारे अनुसार काश्त करते है प्रार्थीया ने अपने हिस्से की भूमि पर सोलर ऊर्जा द्वारा संचालित ट्यूबवेल भी बना रखा है जिससे प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि में दोनो फसल काश्त करती है व अपनी जमीन पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त में है।

अप्रार्थी संख्या 1 भूमि खसरा नम्बर 883 का काश्तकार है जिस जमीन पर उसके अप्रार्थी संख्या 3 के यहां से किसान केडिट कार्ड बना रखा है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 भूमि खसरा नम्बर 885 के सहकाश्तकार हैं

प्रार्थीया का अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 895 मे आने जाने के लिये आम रास्ता ग्राम बिरोल से चलकर दक्षिण दिशा में सरकारी गोचर भूमि (बीड़) की भूमि मे से होकर कटानी रास्ता खसरा नम्बर 1255 से होकर इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए बिन्दु तक कटानी आम रास्ते होकर आती रही है ए बिन्दु के बाद बी.सी. बिन्दुओं से प्रदर्शित दिशा में प्रार्थीया की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 895 में आने जाने के लिये 1 मीटर चौड़ी कदीमी पीढीयों से चली आ रही पगडण्डी का उपयोग कर प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि में आती जाती रही है प्रार्थीया की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 895 के सटाकर पूर्वी दिशा से यह पगडण्डी आगे दक्षिण दिशा मे भीखणी जोहडी तक जाती है जो पीढियों से चली आ रही पगडण्डी है जिसका उपयोग करके इस पगडण्डी के लगते खेतो वाले तथा भीखणी जोहडी के लगती अनेको घरो की बस्ती वाले लोग अपने खतो/घरों से ग्राम बिरोल मे सीधे

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

आते–जो रहे है। यह पगडण्डी 1 मीटर चौडी रही है जिसकी मोके पर दिशा ए.बी.सी. बिन्दुओ से होकर संलग्न नजरी नक्शे.....डोटेड लाल लाईन से दिखाये अनुसार रही है जो आज भी मोके पर पडी है। परन्तु कुछ माह पहले कटानी रास्ता खसरा नम्बर 1255 मे से होकर सडक निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ ने करवाना चाहा तो खसरा 883 एवं 884 के खातेदारो ने कटानी रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को नही हटाया जिसकी शिकायत प्रशासन को की गई इन्ही दिनों में दिनांक 21.08.2016को आवेदक नम्बर 1 ने अपने परिवार में नजदीक खसरा नम्बर 884 के खातेदार से मिलकर संलग्न नजरी नक्शे में प्रदर्शित ए बिन्दु पर इस पिढियों की पगडण्डी को बन्द कर दिया व कहा कि यह कटान में नही है इस वजह से दिनांक 21.08.2016 से प्रार्थीया का अपने खेत में आना जाना लगभग बंद हो गया है। प्रार्थीया अपने परिवार सहित ग्राम बिरोल की मुख्य आबादी में अपने रिहायशी मकान में रहती है तथा वही से आकर अपने खेत मे अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग बताये कटानी रास्ता एवं पगडण्डी होकर करती आ रही है।

प्रार्थीया के खेत में जाने की पगडण्डी जो अप्राथीगण के खेतों मे ए बिन्दु से सी बिन्दु तक 174 मीटर उतर–दक्षिण लम्बी है एवं 1 मीटर चौडाई यानि 174X1 = 174 वर्गमीटर क्षैत्र में सदैव से पीढियों से रही है यह सीधी पगडण्डी भीखणी जोहडी तक जाती है क्योकि अब खेत ट्रेक्टर से काश्त होते है इसलिए ट्रेक्टर ट्रोली ले जाने जितना चौडा रास्ता अब प्रार्थीया को अपने खेत में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 883 एव 885 मे से होकर संलग्न नजरी नक्शे में डबल डोटेड लाल लाईन से प्रदर्शित अनुसार चाहिए। इस कारण अब प्रार्थीया को कम से कम 10 फीट चौडे रास्ते की जरूरत है जिस होकर ट्रेक्टर एव ट्रोली उसके खेत मे आ जा सके इस रास्ते का क्षैत्रफल 174 X 3.048 मीटर = 530.352 वर्गमीटर होता है इस क्षैत्रफल की भूमि मे से पुरानी प्रचलित पीढियों की पगडण्डी को क्षैत्रफल 174 वर्गमीटर कम करने पर 530.352–174 = 356.252 व0मी0 भूमि अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 883 एवं 885 की रास्ते मे लगेगी।

प्रार्थीया व उसके परिवार के लोगो ने अप्रार्थीगण को आपसी समझौते से ए.बी.सी. बिन्दुओ से होकर 10 फीट चौडा यानि 3.048 मीटर चौडा रास्ता देने के लिये बहुत समझाया लेकिन ये नही मान रहे है जिस कारण मजबूर होकर प्रार्थिया को माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.08.2016 को पीढियों से चली आ रही पगडण्डी को भी बंद कर दिया है। मोके पर पर प्रचलित पीढियों की पगडण्डी के निशान आज भी मोके पर पडे है।

प्रार्थीया को उसके सह खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 895 में जाने का रास्ता इस प्रार्थना पत्र में बताये ए.बी.सी. बिन्दुओं के रास्ते के अलावा और कही से धारा 251ए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की भावना के अनुसार सम्भव भी नही है तथा ना ही ओर कोई रास्ता प्रार्थीया के खेत मे लगता ही है तथा कटानी रास्ते से प्रार्थीया के खेत मे आने जाने का सबसे नजदीक एव सोर्टेस्ट रास्ता यही है।

प्रार्थीया आदेशानुसार अप्राथीगण की भूमि जो इस प्रार्थना पत्र में बताये अनुसार पूर्व प्रचलित पगडण्डी से अधिक रास्ते मे जायेगी उसकी कीमत विधिसंगत तरीके से तैय अनुसार प्रार्थीया देने को तेयार है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीया अपने खते में आने–जाने मे बहुत तकलीफ पर रही है अप्रार्थीगण प्रभावशाली आदमी है इन्होने मिलकर प्रार्थीया के खेत में आने जाने की पीढियों की पगडण्डी/गेली को भी बंद कर दिया है जिस कारण प्रार्थिया व उसके परिवार वाले अपने खेत में नही आ जा सकते है तथा प्रार्थीया के खेत में आने जाने का और कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है। सलंग्न नजरी नक्शे में प्रदर्शित ए.बी.सी. डबल डोटेड लाल लाईन का रास्ता प्रार्थीया को दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीया की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 895 स्थित सरहद ग्राम बिरोल में आने जाने के लिए गाड़ियों का 10 फीट चौडा यानि 3.048 मीटर चौडा रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 883 एव 885 के अन्दर से इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए. बी.सी. बिन्दुओं से प्रदर्शित होकर दिलावाने का आदेश फरमाया जाकर इस रास्ते की भूमि को सरकार

Scanned by CamScanner

के नाम रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे या अन्य कोई आदेश जो न्यायालय उचित समझे वह सार पारित किया जावे जिससे प्रार्थीया को अपने खेत मे आने जाने के लिए ट्रेक्टर ट्रोल आने जाने लायक रास्ता मिल सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी अनावदेकगण की गई। अनावेदक नम्बर 1, 2, 3 व 6 की ओर वकील श्री बाबूलाल वर्मा ने अपना वकालत नामा पेश किया तथा अनावेकदगण संख्या 4, 5, 7, व 8 बावजूद तामिल के अनुपस्थित न्यायालय रहने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील अनावेदकगण संख्या 1, 2, 3 व 6 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित किया कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 895 रकबा 1.41 हैक्टर का प्रार्थीया का सहकाश्तकार होना निर्विविादित है परनतु प्राथ्रेया ने खसरा नम्बर 895 के सहखातेदारों को प्रार्थना पत्र मे पक्षकार संयोजित नही किया है, इसलिये प्रार्थना पत्र कानूनन प्रथम दृष्टया खारीज होने योग्य है। जहां तक भाई बंटवारो का प्रश्न है, ना तो पत्रावली पर भाई बंटवारा प्रस्तुत है, ना ही भाई बंटवारा विभाजन का प्रमाण है। खसरा नम्बर 895 प्रार्थीया व अन्य की सहखातेदारी की भूमि है, जो दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। कानूनन प्रार्थीया को बिना अन्य सहखातेदारो को पक्षकार बनाये उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की अधिकारिता नही है, इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीया का उक्त मद 4 में दर्ज कथन कि प्रार्थीया काअपनी.....आती जाती रही है, कतई गलत होने से अस्वीकार है।उतरदातागण की भूमि में ना तो कभी पहले रास्ता अथवा पगडण्डी थी ना ही आज है। प्रार्थीया ने तमाम कथन मिथ्या दर्ज किये है उक्त मद में प्रार्थीया ने अतिक्रमण नही हटाने, प्रशासन को शिकायत करना, सडक डालने आदि तमाम कथन काल्पनिक दर्ज किये है। उतरदातागण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा है, इसलिए तारबंदी करने, पगडण्डी बन्द करने के कथन दर्ज करने का कोई औचित्य नही है। प्रार्थीया ग्राम बिरोल से खसरा नम्बर 1255 ग्राम बिरोल की मुख्य आबादी से आने वाला रास्ता जो खसरा नम्बर 884 की उतरी पूर्वी सीमा खसरा नम्बर 884/1325, 897, 898, 902 की पूर्वी सीमा से सटकर भी ढाणी जोहडी मे जाने वाले रास्ते से होकर भी ढाणी जोहडी मे खसरा नम्बर 899 की पश्चिमी सीमा पर कायम पगडण्डी से होकर अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 895 में आवागमन करती है, जो प्रार्थीया का हमेशा से ही रास्ता रहा है प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जो प्रार्थीया ने स्वयं ने प्रार्थना पत्र मे स्वीकार किया है। प्रार्थीया नाजायज रूप से उतरदातागण की भूमि मे से वैकल्पिक रास्ता होते हुये सीधा रास्ता कायम करवाना चाहती है, इसी उदेश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की परिधि में नही आता है, प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद संख्या 5 में प्रार्थीया ने तमाम कथन गलत दर्ज किये है। उतरदातागण की भूमि में कोई रास्ता/पगडण्डी नही है, ना ही प्रार्थीया का अवागमन रहा है। विस्तृत जवाब ऊपर दिया जा चुका है। प्रार्थीया के पास कटानी रास्ता खसरा नम्बर 1255 से भी ढाणी जोहडी तक तथा अपनी ढाणी जोहडी से खसरा नम्बर 899 मे से खसरा नम्बर 895 तक पगडण्डी मौजूद है, वैकल्पिक रास्ता है, जहां तक ट्रेक्टर ट्रोली खेत में आने जाने का प्रश्न है, उक्त वैकल्पिक रास्ते को चौडा करवाने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए, यही प्रावधान अन्तर्गत धारा 251ए में वर्णित है। अन्तर्गत धारा 251ए में रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता वर्णित है। सुविधाधिकार अथवा एंजोयमेंट के लिये रास्ता उपलब्ध नही करवाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की वर्णिनाओं में नही आता है, प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। प्रार्थीया की कोई पगडण्डी उतरदाता की खातेदारी की भूमि में नही है, ना ही रहा है, इसलिए दिनांक 21.08.2016 को पगडण्डी बन्द करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीया के पास अल्टरनेटिव रास्ता मोजूद है इसलिये प्रार्थीया की Absolut necessity का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इसलिए उतरदातागण की भूमि मे से रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए मे वर्णित प्रावधानों के विपरीत पेश किया गया है, जो हर्जे खर्चे सहित खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

Scanned by CamScanner

वकील अनावेदकगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अतिरिक्त उतर पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ग्राम बिरोल से खसरानम्बर 1255 ग्राम बिरोल की मुख्य आबादी से आने वाला रास्ता जो खसरा नम्बर 884 की उतरी पूर्वी सीमा खसरा नम्बर 884/1325, 897, 898, 902 की पूर्वी सीमा से सटकर भी ढाणी जोहडी में खसरा नम्बर 899 की पश्चिमी सीमा पर कायम पगडण्डी से होकर अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 895 में आवागमन करती हैं जो प्रार्थीया का हमेशा से ही रास्ता रहा है। प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो प्रार्थीया ने जो स्वयं प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। प्रार्थीया नाजायज उतरदातागण की भूमि मे से वैकल्पिक रास्ता होते हुए सीधा रास्ता कायम करवाना चाहती है। इसी उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की परिधी में नही आता है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

भूमि खसरा नम्बर 895 के प्रार्थीया के अलावा श्रीराम नेमीचन्द मनोहर पुत्रगण रामेश्वर, रणजीत पुत्र जालूराम सहखातेदार है जिनको प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार है। जब किसी अधिकार हक या हित नये हो या अधिक सहभागी हो तो अपेक्षित या अनुमत के सभी कार्य जो उस कब्जा रखने वाले द्वारा किये जाने है। उन सबके द्वारा मिलकर किये जायेगे। जब तक की उन्होने अपने सबकी ओर से काम करने के लिए किसी एजेन्ट की नियुक्ति नही कर दी हो। प्रार्थीया ने सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया है ना ही उनकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया ना ही अधिकृत किया है इसलिए प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र अकेली को प्रस्तुत करने की अधिकारिता नही है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में भूमिधारक तहसीलदार को पक्षकार संयोजित नही किया है, जबकि भूमि धारक तहसीलदार प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है, इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में क्षैत्राधिकार के बिन्दु को उल्लेख नही किया है, ना ही न्यायालय शुल्क के बिन्दु को स्पष्ट किया है, इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र शपथ आयुक्त द्वारा एटेस्टेड नही है, इसलिये प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज मय हर्जा खर्चा सहित खारीज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों तथा वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यो को दोहराया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार नवलगढ से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में वर्णित किया गया है कि :–

1. खसरा नम्बर 895 रकबा 1.41 की खातेदारी श्रीराम, नेमीचंद मनोहर पि0 रामेश्वर हि0 1/3 संतोष देवी पत्नी नेमीचंद हि. 1/32 रणजीत सिंह पिता जालूराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा0 देह, खातेदार राहिन, रणजीत सिंह पुत्र जालूसिंह 1/3 रहन एस0बी0बी0जे नवलगढ राहिन संतोष पत्नि नेमीचन्द हि0 1/3 रहन बी0ओ0बी0 नवलगढ राहिन मनोहर हि0 1/9 रहन एस0 बी0 आई शाखा नवलगढ शाहिन नेमीचन्द श्रीराम पि0 रामेश्वर हि0 2/9 रहन ब0 रा0 क्षे0 ग्रा0 बैंक नवलगढ के नाम रहन दर्ज रिकार्ड है।
2. ग्राम बिरोल में भूमि खसरा नम्बर 883 रकबा 1.26 की खातेदारी राजू पुत्र घड़सीराम कौम जाट सा0 देह खातेदार राहिन–राज0 ग्रा बैंक नानसा गेंट नवलगढ के नाम रहन दर्ज रिकार्ड है।?
3. भूमि खसरा नम्बर 885 रकबा 0.78 की खातेदारी देवेन्द्र सुभाष चन्द्र महावीर पि0 केशर नाराणी पत्नि केशर हि0 1/3 बजरंग शीशराम पिता कालूराम हि0 2/3 कौम जाट सा0 देह खातेदार राहिनः– बजरंग पिता कालूराम हि0 1/3 रहन बडौदा राज. क्षे0 ग्रा. बैंक शाखा नानसा गेट नवलगढ के नाम रहन दर्ज रिकार्ड है।
4. भूमि खसरा नम्बर 895 में जाने हेतु बिरोल से झाझड की तरफ चालू ग्रेवल सड़क से भूमि खसरा नम्बर 883 में 77 मीटर, खसरा नम्बर 885 में 101 मीटर की दूरी मौके के अनुसार है। खसरा नम्बर 885 व 883 में कूल 178 मीटर दूरी बनती है जो चालू ग्रेवल सड़क से उतर से दक्षिण की तरफ की दूरी है। यही रास्ता आगे चलकर पूर्व की तरफ जाकर दक्षिण की तरफ घूमर कर खसरा नम्बकर 884/1325 की पूर्वी सीमा के सहारे जाता है। खसरा नम्बर 895 में इसी ग्रेवल सड़क से

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 884/1325 की पूर्वी सीमा से दक्षिण की सीमा के सहारे–सहारे जाने के लिये दूरी 173 मीटर की दूरी बनती है।

5. ग्राम बिरोल के भूमि खसरा नम्बर 895 में आने–जाने हेतु वर्तमान में खसरा नम्बर 883, 885 व 884/1325 में कोई पगडण्डी व रास्ता चालू नहीं है। खसरा नम्बर 895 के आस–पास इस ग्रेवल सड़क के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 895 में आने–जाने हेतु दूरी नजरी नक्शें में निम्नानुसार है।

नजरी नक्शें के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की दूरी नियमानुसार है

1. खसरा नम्बर 883 में 77 मीटर दूरी 178 मीटर
2. खसना नम्बर 885 में 101 मीटर दूरी 178 मीटर (बिन्दू A, B व C की दूरी)
3. खसरा नम्बर 884/1325 में 173 मीटर दूरी (D से C बिन्दू की दूरी) इस प्रकार मौंके के अनुसार दूरी नापकर दर्ज की गई है। इसके अलावा खसरा नम्बर 895 के आस–पास अन्य कोई कटानी रास्ता नहीं है।

प्रार्थी द्वारा जिस रास्ते की मांग की गई है उसकी दूरी 178 मीटर है, तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 884/1325 से दूरी 173 मीटर है, इस संबंध में प्रार्थी ने कोई आपति भी नहीं की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अनुसार निकटतम दूरी का रास्ता दिये जाने का प्रावधान है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। प्रार्थी निकटतम रास्ते की भूमि के खातेदारों को पक्षकार बनाते हुये नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेंगें। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19-2-202

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.20 16:21:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: